

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021 — चैत्र 6, शक 1943

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-35/2001/वा.क.(आब.)/पाँच(20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 19 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक एवं शब्द “2 वर्ष” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “3 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये।
- अनुसूची-एक एवं दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“अनुसूची-एक”

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा				
1.	आबकारी उप निरीक्षक	185	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-7
2.	आबकारी मुख्य आरक्षक	94	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-5
3.	आबकारी आरक्षक	352	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4

“अनुसूची-दो”

(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिये]	अन्य सेवाओं के सदस्यों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आबकारी उप निरीक्षक	185	70%	15%	—	15% पद आबकारी मुख्य आरक्षक से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
			15: पद अनुसूची- पाँच में विनिर्दिष्ट अनुसार विभागीय लिपिक वर्गीय सेवाओं, आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक द्वारा भरे जायेंगे।			
2.	आबकारी मुख्य आरक्षक	94	—	100%	—	
3.	आबकारी आरक्षक	352	100%	—	—	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्रमांक एफ 12-35/2001/वा.क.(आब.)/पाँच(20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 19th March 2021

NOTIFICATION

No. F 12-35/2001/CT(EX)/V(20).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Excise Sub-ordinate Class-III (Executive) Service, Recruitment Rules, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In clause (a) of sub-rule (1) of rule 19, for the figure and word “2 years”, the figure and word “3 years” shall be substituted.
2. For Schedule-I and II, the following shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE-I
(See rule 4 and 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chhattisgarh Excise Sub-ordinate Class-III (Executive) Service				
1.	Excise Sub-Inspector	185	Class-III	Pay Matrix Level-7
2.	Excise Head Constable	94	Class-III	Pay Matrix Level-5
3.	Excise Constable	352	Class-III	Pay Matrix Level-4

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6(1) (a)]	By promotion of member of service [See rule 6(1)(b)]	By transferred/ deputation of member of other services [See rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Excise Sub-Inspector	185	70%	15%	-	15% posts shall be filled by promotion from Excise Head Constable
			15% posts shall be filled by Departmental Clerical Services, Excise Head Constable and Excise Constable as specified in Schedule-V			
2.	Excise Head Constable	94	-	100%	-	
3.	Excise Constable	352	100%	-	-	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A.P. TRIPATHI , Special Secretary.